न्यायालय श्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

पीठासीन अधिकारी : गोपाल परिहार (आर.ए.एस)

प्रार्थी–

01.श्रीमती सुरता पत्नी ज्वाला राम एव पुत्री श्री रतना राम उम्र 38 वर्ष जाति विश्नोई निवासी बालाजी नगर (नहर के पास गोदारो की ढाणिया)गुडा विश्नोईयान तहसील लूणी जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण

01. रतनाराम पुत्र मोतीराम
02. श्रीमती गगा देवी पुत्री श्री रतनाराम एव पत्नी श्री श्रीराम जातियान विश्नोई निवासी ग्राम ढाणा विश्नोईयान झवर तहसील लूणी जिला जोधपुर।
03. श्रीमती मीरा देवी पुत्री रतनाराम एव पत्नी मदनलाल जाति विश्नोई निवासी झीपासनी (करवड) जोधपुर
04. गुडडी पुत्री रतनाराम जाति विश्नोई निवासी धवा तहसील लूणी जिला जोधपुर
05. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, लूणी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

01.प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता भागीरथ विश्नोई उपस्थित।

02.अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता एस,डी पुरोहित उपस्थित।

निर्णय दिनांक 13/9/2024

यह है कि प्रार्थीनी द्वारा एक वाद बाबत घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व बंटवाडा हेतु प्रस्तुत किया जिसके साथ में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण अविभाजित हिन्दु परिवार के सदस्य है, प्रार्थीनी व अप्रार्थी सं0 2

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

से 4 के पिता रतनाराम है जो कि अप्रार्थी सं0 1 है। प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि ग्राम डेलुम्बा, तहसील लूणी के खसरा नम्बर 1460 रकबा 29 बीघा 3 बिस्वा आई हुई है। जिस पर प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से काबिज है तथा काश्त करते आ रहे है, जिसमें प्रार्थीनी व प्रत्येक अप्रार्थीगण का 1/5–1/5 हिस्सा खातेदारी में बंट आता है। उपरोक्त भूमि पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है जो पूर्व में संयुक्त रूप से खसरा सं0 1567, खसरा सं0 1463 , खसरा नं0 1464 व खसरा सं0 1542 आई हुई थी। जिस पर रतनाराम व उसकी पुत्रीयों तथा उसके भाईयों द्वारा आपस में काश्त की सहूलियत की हिसाब से बंटवाडा कर दिया तथा खसरा सं0 1460 प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण के बंट में रखा गया। जिस पर सभी पक्षकार हिस्से अनुसार मौके पर सहखातेदार के रूप में काबिज है। प्रार्थीनी अप्रार्थी सं0 1 की जायन्दा पुत्री होने के कारण प्रार्थीनी को जन्म से ही विवादित भूमि में हक हिस्सा प्राप्त हो गया था तथा उसी अनुसार खातेदारी काश्तकारी अधिकार प्राप्त हो गये थे तथा प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण को विवादित भूमि में बराबर बराबर हिस्सा खातेदारी के रूप मे प्राप्त होता है जिसके तहत प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण का 1/5, 1/5 हिस्से के खातेदारी घोषणा की मांग की तथा साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा व बंटवाडे की मांग की। राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी सं0 1 का नाम दर्ज है तथा राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थीनी का नाम दर्ज नही होने के कारण अप्रार्थी सं0 1 द्वारा राजस्व रेकर्ड का फायदा उठाते हुए अप्रार्थी सं 2 के साथ मिलावट कर एक बख्शीशनामा निष्पादित करवा लिया। जो बख्शीशनामा उपपंजीयक कार्यालय झवंर के यहां दिनांक 26–2–19 को पुस्तक सं0 प्रथम, जिल्द सं0 51, पृष्ठ सं0 93, क्रम सं0 201903093100316 पर पंजीबद्धसुदा है। जो बख्शीशनामा अप्रार्थी सं 1 द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि 1/5 हिस्से से अधिक का निष्पादित किया गया होने के कारण तथा प्रार्थीनी के 1/5 हिस्से तक निष्प्रभावी व शुन्य घोषित करने की मांग की तथा मौके पर शान्तिपूर्वक हिस्से अनुसार कब्जा होना बताया गया तथा अप्रार्थी सं0 1 व 2 द्वारा भूमि को खुर्द बुर्द करने की कोशिश की जा रही है

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

तथा प्रार्थीनी को कब्जे से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है जिसके लिए प्रार्थीनी द्वारा वाद के लम्बित रहने तक विवादित भूमि खेत खसरा सं0 1460 रकबा 29 बीघा 3 बिस्वा ग्राम डेलूम्बा तहसील लूणी जिला जोधपुर के मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का निवेदन किया तथा प्रार्थीनी के हक हिस्से मे दखलदांजी से अप्रार्थीगण को पाबन्द किया तथा भूमि का हस्तान्तरण नही किये जाने का निवेदन किया।

यह है कि प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये बाद तामिल अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए जिनके द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया कि दावा व प्रार्थनापत्र गलत आधारों पर प्रस्तुत किये गये है भूमि को अविभाजित हिन्दू परिवार की भूमि नही माना जा सकता है साथ ही जवाब दिया कि रतनाराम की समस्त पूत्रीयों का विवाह हो चुका है इसलिए संयुक्त हिन्दू परिवार की सदस्य नही है मौके पर प्रार्थीनी का कोई कब्जा काश्त नही है राजस्व रेकर्ड मे अप्रार्थी सं0 2 का नाम अमल दरामद हो चुका है। जिसका मौके पर कब्जा काश्त है। अप्रार्थी सं0 1 व उसकी पुत्रीयों के मध्य कोई बंटवाडा नही हुआ है। प्रार्थीनी सहखातेदार नही है। रतनाराम को अपने हक अधिकार की भूमि को इच्छानुसार विकय व हस्तान्तरित करने का पूर्ण अधिकार है तथा उसी अनुसार उसके द्वारा भूमि का आगे बख्शीशनामा निष्पादित किया गया है। प्रार्थीनी का जन्म से इस भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं है। बख्शीशनामें में अन्य पुत्रीयों के गवाह के रूप में हस्ताक्षर है प्रार्थीनी का राजस्व रेकर्ड मे नाम नहीं है। पिछले 35–40 वर्षो से राजस्व रेकर्ड में वादग्रस्त खसरा सं0 1460 की भूमि रतनाराम के पिता के नाम से अमल दरामद थी तथा इनके देहान्त होने पर रतनाराम का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ बख्शीशनामा वैध है तथा उसी के अनुसार अप्रार्थी सं0 2 का सम्पूर्ण भूमि पर कब्जाकाश्त है भूमि बैंक में गिरवी रखी हुई है। इससे पूर्व भी बख्शीशनामें को निरस्त करने हेतु माननीय अपर जिला न्यायालय सं0 3 में वाद प्रस्तुत किया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

हुआ है जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र ,खारिज किया जा चुका है इसलिए उस वाद के लम्बित रहने के दौरान उपरोक्त प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने का लिखा गया। जवाब मे अपनी पुत्री होना स्वीकार किया गया है। प्रार्थीनी का बख्शीशनामा लिखने के बाद विवादित भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं है तथा कानूनी तौर पर वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र चलने योग्य नही होने के कारण खारिज किये जाने का निवेदन किया।

वकुलाय पक्ष की बहस सुनी गई अधिवक्ता प्रार्थीनी ने अपने प्रार्थनापत्र को अपनी बहस बताया तथा उसके समर्थन में तीन न्यायिक दृष्टान्त 2011(2)आर0आर0टी 819, 2012(1) आर0आर0 टी0 223, 2013(9)एस0एस0सी0 419 पेश की तथा प्रार्थनापत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थीगण द्वारा अपनी मौखिक बहस में बताया गया कि विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि नही है तथा न ही पुश्तैनी भूमि है तथा साथ ही अप्रार्थी सं0 2 का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। प्रार्थीनी का नाम जमाबन्दी मे दर्ज नही है मौके पर कब्जा काश्त अप्रार्थी सं0 2 का है तथा सिविल न्यायालय मे वाद लम्बित होने के कारण प्रार्थनापत्र पोषणीय नही हैं तथा अन्त में प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

यह है कि पत्रावली व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत नामान्तरकरण सं0 920 के अनुसार विवादित भूमि मोतीराम के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी तथा उनके देहान्त के पश्चात उनके पुत्रों का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया। जिससे साबित होता है कि विवादित भूमि पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पुत्री के जन्म

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

होने पर उसका पुश्तैनी भूमि में हिस्सा निहित हो जाता है। प्रार्थना पत्र के सजरा खानदान के अनुसार प्रार्थीनी व अप्रार्थी सं0 2 से 4 अप्रार्थी सं0 1 की पुत्रीयां है जिनका पुश्तैनी भूमि में जन्म से ही हक हिस्सा है तथा उसी अनुसार संयुक्त खातेदारी की भूमि होने के कारण प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का कब्जा साबित होता है। मात्र राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थीनी सं0 2 का नाम दर्ज हो जाने से प्रार्थीनी के हक हिस्से समाप्त नही हो सकते है विवादित भूमि में अप्रार्थी सं0 1 का 1/5 हिस्सा ही बनना पाया जाता है तथा उतनी ही भूमि का वह बख्शीश करने का अधिकारी था उसके द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि से अधिक भूमि का बख्शीशनामा निष्पादित किया गया जो प्रार्थीनी के हक हिस्से तक शून्य व निष्प्रभावी है। इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीनी के पक्ष मे साबित होता है। विवादित भूमि सहखातेदारी की भूमि साबित होने के कारण प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा है इसलिए सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीनी के पक्ष में साबित होता है।

यह है कि राजस्व रेकर्ड की आड में यदि अप्रार्थी सं0 2 द्वारा भूमि को आगे खुर्द बुर्द कर दिया जाता है तो प्रार्थीनी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई किया जाना नामुमकिन है। अप्रार्थी सं0 2 द्वारा भूमि को रहन रखा जा चुका है जिससे कि साबित होता हैं कि अप्रार्थी सं02 भूमि को खुर्द बुर्द करने पर उतारू है। इसलिए अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीनी के पक्ष मे साबित होता है। प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार भी माननीय राजस्व मण्डल व माननी उच्चतम न्यायालय द्वारा भी तय किया गया है कि पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी की भूमि में पुत्र व पुत्री का जन्म से ही हक हिस्सा निहित हो जाता है तथा राजस्व रेकर्ड के आधार पर भूमि का आगे बैचान हस्तान्तरण नही किया जा सकता है। यदि हिस्से से अधिक भूमि का

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

बैयान व हस्तान्तरण कर भी दिया जाता है तो वह हिस्से से अधिक किया गया बैयान हस्तान्तरण शुरू से ही शून्य व निष्क्रामी है जिन्हे सिविल न्यायालय से निरस्त करवाने की आवश्यकता नही है।

आदेश

अतः प्रार्थीनी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दूओं को अपने पक्ष में साबित किया है जिस कारण प्रार्थीनी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि वे वाद के लम्बित रहने तक विवादित भूमि खेत खसरा सं0 1460 रकबा 29 बीघा 3 बिस्वा ग्राम डेलूम्बा तहसील लूणी जिला जोधपुर के मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु पाबन्द किया जाता है तथा प्रार्थीनी के हक हिस्से में दखलदांजी से अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है तथा भूमि का आगे हस्तान्तरण नही किये जाने हेतु भी अप्रार्थी सं0 2 को पाबन्द किया जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

(गोपाल परिहार)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी जिला जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 13/9/2021 को सुनाया गया तथा पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गोपाल परिहार)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी जिला जोधपुर